

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागेश्वर।

प्र० फौ० वा० सं० 70/2022

दिव्या पपोला बनाम प्रदीप सिंह पपोला।

धारा-125 द० प्र० सं०

58/28.06.2024

पत्रावली पेश। पुकारा गया। प्रार्थिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश जोशी उपस्थित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह कोरंगा की ओर से साक्ष्य हेतु अन्य तिथि दिये जाने की प्रार्थना की। सुना। प्रार्थना न्यायहित में स्वीकार।

पत्रावली दिनांक 10.07.2024 को वास्ते जिरह/ शेष साक्ष्य विपक्षी पेश हो।

(ऐश्वर्या बोरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बागेश्वर।